Diamond Jubilee of CBI

The Central Bureau of Investigation traces its origin from the Special Police Establishment which was set up in 1941 by Government of India to investigate cases of bribery and corruption in transactions concerned with the War & Supply Department of India during World War-II.

During the early stages of World War-II, the then Government of India realized that the enormously expanded expenditure for purposes connected with the war had brought about a situation in which unscrupulous and antisocial persons, both officials and non-officials, were enriching themselves dishonestly at the cost of the public and the government. The Police and other Law Enforcement Agencies, functioning under the State Governments, were found inadequate to cope with this challenge. Accordingly, it became necessary to set up a separate organization to investigate offences connected with these transactions. Vide an executive order, an organization i.e. Special Police Establishment (S.P.E.), was created by the Government of India in 1941. This organization was to be headed by a Deputy Inspector General of Police.

The SPE was mandated to investigate cases of bribery and corruption in transactions concerned with the War and Supply Department of the Government of India and its superintendence was vested in the then War & Supply Department.

Towards the end of 1942, the activities of the SPE were extended to include cases of corruption in the Railways, which was strategically concerned with the movement and supply of war material.

As the need for a Central Government agency to investigate cases of bribery and corruption by Central Government employees was felt even after the end of the war, Delhi Special Police Establishment Act was enacted in 1946. This Act transferred the superintendence of the SPE to the Home Department and its functions were enlarged to cover all departments of the Government of India. The jurisdiction of the SPE, which extended to all the Union Territories, could now be extended to the States with the consent of the concerned State Government.

Central Bureau of Investigation was established on 01.04.1963 vide resolution of Ministry of Home Affairs, Govt. of India with the DSPE as one of its Divisions. Initially the offences that were notified by the Central Government related only to corruption by Central Government servants. In due course, with the setting up of a large number of public sector undertakings, the employees of these undertakings were also brought under the purview of CBI. Similarly, with the Nationalization of the Banks in 1969, the Public Sector Banks and their employees also came within its ambit.

Beginning 1965, the CBI has also been entrusted with the investigation of Economic Offences and important conventional crimes such as murders, kidnapping, terrorist crimes, etc., on a selective basis.

Over the years, the CBI has grown into a multi-faceted, multi-disciplinary and multi-dimensional investigating agency mainly entrusted with the following functions:

- Enquiry and investigation of cases
- Prosecution of CBI investigated cases
- Preventive vigilance functions
- National Central Bureau-India connected with International Criminal Police Organization (ICPO) and
- Coordination, Training and Research

Today, this agency has a broad jurisdiction that extends to cases related to corruption, economic offenses, bank frauds, financial crimes, organized crime, wild life related offences, human trafficking, smuggling of Arts & Antiquities, cyber offences and other major crimes.

CBI also acts as the National Central Bureau i.e. Interpol India. It functions as the focal point for Indian Law Enforcement Agencies as well as Foreign Law Enforcement Agencies basis seeking and providing informal assistance of Police to Police cooperation

CBI also acts as nodal authority to receive and respond to all requests for assistance in the matters relating to United Nations Convention on Transnational Organized Crimes (UNTOC) and the supplementary protocols thereto.

In last 60 years of its existence, CBI has gained reputation as a highly professional investigation agency, enjoying confidence of the executive, legislative, judiciary and the common man alike.

Department of Posts is pleased to issue Commemorative Postage Stamp on Diamond Jubilee of Central Bureau of Investigation and salute its contribution in preserving values in public life and ensuring the health of the national economy.

Credits:

Stamp/FDC/Brochure	:	Sh. Brahm Prakash
Cancellation Cachet	:	Smt. Nenu Gupta
Text	:	Based on information provided by the proponent.

भारतीय डाक
India Post

डाक विभाग
Department of Posts

1963 - 2023
उत्कृष्टत्वस्य संधाने
In Pursuit of Excellence

सी बी आई की हीरक जयंती
Diamond Jubilee of CBI

विवरणिका BROCHURE

सी बी आई की हीरक जयंती

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना का सूत्रपात विशेष पुलिस स्थापना से हुआ, जिसे भारत सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत के युद्ध एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए वर्ष 1941 में स्थापित किया गया था।

द्वितीय विश्व युद्ध की शुरूआत में, तत्कालीन भारत सरकार ने यह महसूस किया कि युद्ध के परिणामस्वरूप बढ़े अत्यधिक व्यय के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सरकारी और गैर–सरकारी, दोनों ही तरह के बेईमान और असामाजिक तत्व, जनता और सरकार के हितों की कीमत पर बेईमानी से स्वयं को सम्पन्न बना रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत पुलिस और अन्य विधि प्रर्वतन एजेंसियां इस चुनौती से निपटने के लिए काफी नहीं थी। अतः इस प्रकार के लेन–देन से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए एक अलग संगठन की स्थापना करना आवश्यक हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1941 में एक कार्यकारी आदेश के तहत, पुलिस उप–महानिदेशक की अध्यक्षता में विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) नामक संगठन बनाया गया।

एसपीई को, भारत सरकार के युद्ध एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े लेन–देन संबंधी कार्यकलापों में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया और इसके संचालन की जिम्मेदारी, तत्कालीन युद्ध एवं आपूर्ति विभाग को दी गई।

वर्ष 1942 के अंत में एसपीई के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया और रेलवे के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को भी इसके कार्यों की सूची में शामिल कर दिया गया। उस समय, युद्ध सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने और उसकी आपूर्ति में रेलवे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी।

चूंकि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकारी एजेंसी की आवश्यकता युद्ध की समाप्ति के बाद भी महसूस की गई, अतः वर्ष 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के तहत, एसपीई के संचालन का कार्य गृह विभाग को अंतरित कर इसके दायरे का विस्तार करते हुए भारत सरकार के सभी विभागों को इसमें शामिल किया गया। एसपीई के कार्यक्षेत्र में सभी संघ राज्य क्षेत्र शामिल थे और संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से इसे, सभी राज्यों में भी लागू किया जा सकता था।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प के द्वारा दिनांक 01.04.1963 को की गई। डीएसपीई, इसके अंतर्गत एक डिवीजन था। आरंभ में केन्द्र सरकार द्वारा केवल वही अपराध इसे सूचित किए जाते थे, जोकि भारत सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए भ्रष्टाचार से संबंधित होते थे। यथासमय, बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना हो जाने के बाद, इन उपक्रमों के कर्मचारियों को भी सीबीआई के क्षेत्राधिकार के अधीन लाया गया। इसी प्रकार, वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और उनके कर्मचारी भी इसके दायरे में आ गए।

वर्ष 1965 से, सीबीआई को आर्थिक अपराधों के साथ–साथ सामान्य श्रेणी के चुनिंदा विशेष अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, आतंकवाद से जुड़े मामलों आदि की जांच का कार्य भी सौंपा गया है।

पिछले कुछ वर्षों में, सीबीआई का विकास एक बहुमुखी, बहु–विषयक और बहुआयामी जांच एजेंसी के रूप में हुआ है, जिसे मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

- मामलों की जांच एवं अन्वेषण
- सीबीआई द्वारा जांचे गए मामलों का अभियोजन
- निवारक सतर्कता कार्य
- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (आईसीपीओ) से जुड़ा राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो–इंडिया और
- समन्वय, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान।

अब, इस एजेंसी का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है और इसके दायरे में भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, बैंक संबंधी धोखाधड़ी के मामले, वित्तीय अपराध, संगठित अपराध, वन्य जीवन संबंधी अपराध, मानव तस्करी, कला एवं पुराकालीन वस्तुओं की तस्करी, साइबर अपराध और अनेक अन्य प्रमुख अपराध भी शामिल हैं।

सीबीआई, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो अर्थात् इंटरपोल इंडिया के रूप में भी कार्य करती है। यह, भारतीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए पुलिस से पुलिस अनौपचारिक सहयोग लेने और देने के मामलों में नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है।

यह एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनटीओसी) और उसके पूरक प्रोटोकॉल संबंधी मामलों में सहायता हेतु सभी अनुरोधों को प्राप्त करने और उनका उत्तर देने के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करती है।

सीबीआई ने 60 वर्षों के अपने सफर में कार्यकारिणी, न्यायपालिका, विधायिका और आमजन, सभी का भरोसा जीतकर, पेशेवर व्यावसायिक एजेंसी के रूप में ख्याति प्राप्त की है।

डाक विभाग, सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने तथा सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रति केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के योगदान को रेखांकित करते हुए, इस संस्था की हीरक जयंती पर स्मारक डाक–टिकट जारी कर प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :

डाक–टिकट/प्रथम दिवस आवरण/विवरणिका : श्री ब्रह्म प्रकाश

विरूपण कैशे : श्रीमती नीनू गुप्ता

पाठ : प्रस्तावक से प्राप्त सामग्री के आधार पर

तकनीकी आंकड़े

TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	: 500 पैसे
Denomination	: 500 p
मुद्रित डाक–टिकटें	: 301700
Stamps Printed	: 301700
मुद्रण प्रक्रिया	: वेट ऑफसेट
Printing Process	: Wet Offset
मुद्रक	: प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	: Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the Stamp, First Day Cover and Information Brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00